भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2415

जिसका उत्तर सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋण

†2415. श्री तेजस्वी सूर्या:
श्री बिप्लब कुमार देब:
श्री थरानिवेंथन एम. एस.:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक के बेंगलुरु और तमिलनाडु के अरणि लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित ब्यौरे सहित प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत श्रेणी-वार, नामत: किशोर और तरुण के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों की कुल संख्या कितनी है और उनका मूल्य कितना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त योजना के अंतर्गत पहली बार ऋण लेने वालों और महिला लाभार्थियों की संख्या कितनी है और उनका अनुपात कितना है तथा त्रिपुरा, कर्नाटक और बेंगलुरु के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान आवंटित निधि, कवर किए गए लाभार्थियों और ऋणों के क्षेत्र-वार वितरण का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत तमिलनाडु सहित राज्य-वार, श्रेणी-वार और वर्ष-वार गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए), ऋण वसूली निष्पादन सहित ऋण संबंधी चूक का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा पीएमएमबाई के तहत क्रेडिट अनुशासन में सुधार करने, चूक को कम करने और सूक्ष्म-उद्यम ऋण की सततता को सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार ने रोजगार सृजन, उद्यम की निरंतरता और आय वृद्धि पर उक्त योजना के प्रभाव का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत प्रभावी निगरानी और ऋणों के समय पर पुनर्भुगतान को सुनिश्चित करते हुए महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और पहली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए संस्थागत ऋण की सुलभता में सुधार करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): पिछले तीन वर्षों के लिए कर्नाटक में बेंगलुरु से संबंधित प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमवाईवाई) के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों की श्रेण-वार कुल संख्या और राशि अनुबंध-I में दी गई है।

निर्वाचन क्षेत्र-वार आंकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ख): प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमवाईवाई) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों तथा त्रिपुरा, कर्नाटक और बेंगलुरु के लिए नए उद्यमी/खाते तथा महिला लाभार्थियों (ऋण खाते) की कुल संख्या और प्रतिशत अनुबंध-II में दी गई है।

(ग): पिछले पांच साल में 28.76 करोड़ से ज्यादा ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी कुल राशि 25.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। क्षेत्र-वार आंकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदत्त ऋणों के लिए ऋणदात्री संस्थाओं को ऋण गारंटी प्रदान करने हेतु, 'सूक्ष्म इकाई ऋण गारंटी निधि' (सीजीएफएमयू) को 3,900 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

(घ) और (ङ): इस योजना के अंतर्गत गैर-निष्पादित आस्तियों का श्रेणी-वार और वर्ष-वार (पिछले पांच वर्षों के लिए) विवरण अनुबंध-III में दिया गया है। राज्य-वार एनपीए आंकड़े और की गई वसूली का विवरण केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत गैर-निष्पादित आस्तियों की वसूली के लिए बैंकों द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

- निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई और ग्राहक संपर्क की आवृत्ति में वृद्धि;
- किस्तों का पुनर्निर्धारण और एकमुश्त निपटान (ओटीएस)।

(च): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत रोजगार सृजन का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े पैमाने पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण आयोजित किया था। सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, पीएमएमवाई से लगभग 3 वर्ष की अवधि में अर्थात 2015 से 2018 के दौरान 1.12 करोड़ निवल अतिरिक्त रोजगार सृजन में सहायता मिली।

(छ): इस योजना से अनौपचारिक क्षेत्र के लिए ऋण तक पहुंच बढ़ी है, जिससे व्यैक्तिक महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नए उद्यमियों सहित बड़ी संख्या में उधारकर्ताओं के ऋण इतिहास तैयार करने में मदद मिली है। जून 2026 तक, पीएमएमवाई के अंतर्गत ऋणों का 21% अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ताओं को और 66% महिला उधारकर्ताओं को प्रदान किए गए हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत प्रभावी निगरानी और ऋणों की समय पर अदायगी सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

(i) बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के माध्यम से उचित उधारकर्ता मूल्यांकन;
(ii) केवाईसी दिशा-निर्देशों का अनुपालन;
(iii) ऋण गारंटी के अंतर्गत संपार्श्विक-मुक्त ऋणों का कवरेज;
(iv) उधारकर्ता की इकाई का नियमित क्षेत्रीय दौरा;
(v) डिजिटल ऋण प्रसंस्करण में सुधार;
(vi) उधारकर्ताओं के लिए पुनर्भुगतान अनुशासन और व्यावसायिक प्रबंधन पर वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम।

अनुबंध-I

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋण के संबंध में दिनांक 03.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2415 के भाग (क) के लिए अनुबंध-I

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना - श्रेणी-वार (दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 31.03.2026 तक)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	श्रेणी	बेंगलुरु (ग्रामीण+शहरी)		अखिल भारतीय	
		ऋण खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	ऋण खातों की संख्या	स्वीकृत राशि
1	शिशु	878,246	3,135.38	86,667,918	321,882.31
2	किशोर	623,732	7,378.87	79,032,549	900,394.22
3	तरुण	67,731	10,009.37	5,635,239	466,522.40
4	तरुण प्लस	999	144.01	129,504	19,464.64
	कुल	**1,570,708**	**20,667.63**	**171,465,210**	**1,708,263.57**

स्रोत: मुद्रा पोर्टल पर सदस्य ऋणदाता संस्थानों द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार

अनुबंध-II

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋण के संबंध में दिनांक 03.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2415 के भाग (ख) लिए अनुबंध-II

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 31.03.2026 तक)

(राशि करोड़ रुपये में)

		कुल	महिला उद्यमी (कुल में से)		नए उद्यमी/खाते (कुल में से)	
क्र.सं.	राज्य	ऋण खातों की संख्या	ऋण खातों की संख्या	प्रतिशत	ऋण खातों की संख्या	प्रतिशत
1	त्रिपुरा	972,027	318,633	33%	89,237	9%
2	कर्नाटक	15,062,763	10,641,969	71%	2,762,408	18%
3	बेंगलुरु (ग्रामीण + शहरी)	1,570,708	941,111	60%	405,976	26%
4	अखिल भारतीय	171,465,210	104,052,481	61%	37,837,619	22%

स्रोत: मुद्रा पोर्टल पर सदस्य ऋणदाता संस्थानों द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार

अनुबंध-III

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋण के संबंध में दिनांक 03.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2415 के भाग (घ) और (ङ) के लिए अनुबंध-III

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना- संवितरण राशि के मुकाबले एनपीए प्रतिशत

क्र.सं.	श्रेणी	मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार
1	शिशु	1.88%	1.48%	1.17%	1.50%	1.37%
2	किशोर	4.28%	3.34%	2.66%	2.49%	2.21%
3	तरुण	2.96%	2.54%	2.19%	2.10%	2.43%
4	तरुण प्लस	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	0.29%	0.30%

स्रोत: मुद्रा पोर्टल पर सदस्य ऋणदाता संस्थानों द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार
